झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः- राँची शहर के कतिपय प्रमुख व्यस्ततम मार्गों में से एक एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ संख्या-1) के समग्र विकास हेतु कुल रू० 53,79,93,393/- की योजना एवं योजना के कार्यान्वयन पर कुल रू० 47,21,14,607/- की लागत पर भूमि अधिग्रहण अर्थात् कुल रू० 101.01/- करोड़ (एक सौ एक करोड़ एक लाख रूपये) के योजना लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2195
31/03/17

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। राज्य गठन के पश्चात् राज्य की राजधानी राँची की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर, इस अनुपात में शहरी परिवहन व्यवस्था से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पाने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया है।

राज्य की राजधानी के परिवहन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता के आलोक में राजधानी क्षेत्र के कतिपय सघन आबादीवाले क्षेत्रों में पथों के चौड़ीकरण, जीर्णोद्धार एवं निर्माण के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था को द्रुतगामी बनाने के उद्देश्य से मुख्य मार्गों का सर्वांगीण विकास किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त के आलोक में सरकार स्तर पर समीक्षोपरान्त तत्काल शहर के 05 प्रमुख व्यस्ततम मार्गों के समग्र विकास एवं आवश्यकतानुसार फ्लाई-ओवर निर्माण कराये जाने का निर्णय लेते हुए उक्त योजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने हेतु इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन उपक्रम मेसर्स मेकॉन लि० को विभागीय संकल्प संख्या-2841, दि०-11.08.15 द्वारा दायित्व सौंपा गया था।

3. पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार सर्वश्री मेकॉन लि० से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ (Project Management Consultancy Services) प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में मेकॉन लि०, राँची के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा में परियोजना लागत का – DPR विकसित करने हेतु 1.5%, निविदा प्रक्रिया हेतु 1.5% एवं परियोजना प्रबंधन संबंधी सेवायें हेतु 4.5% अर्थात् कुल 7.5% दिए जाने का उल्लेख है, जिसे वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक होने के कारण संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि सर्वश्री मेकॉन लि०, राँची को मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने हेतु प्रदत्त सेवाओं के विरूद्ध राशि का भुगतान किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु अलग से परामर्शी का चयन किया जाएगा।

4. मेसर्स मेकॉन लि० द्वारा सौंपी गयी योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें से **एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ संख्या-1)** तक बननेवाले पथ के समग्र विकास हेतु DPR तैयार किया गया है।

5. **एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ संख्या–1)** तक बननेवाले पथ निर्माण की कुल योजना लागत (भूमि अधिग्रहण सहित) रू० 101.01/- **करोड़ (एक सौ एक करोड़ एक लाख रूपये)** है, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

SUMMARY OF COST ESTIMATE		
SN	Item	Amount (Rs.)
A	**PART -A (ROAD WORKS)**	
1	Site clearance	87111.75
2	Earth work	827473.7
3	Sub base and Base course	15377048.91
4	Bituminous & Pavement works	25377602.59
5	Electrical & OFC, Domestic water, Gas and sewerage	127831647.82
6	Road Furniture	9358108.7
7	Culvert widening	21395.82
8	Rotary	233748.72
9	Plantation	1172850.00
10	Urban Landscaping, beautification and Pedestrian subways	84511347.50
	Sub Total (A)	**26,47,98,335.51**
B	**UTILITIES**	
1	Electrical	249980000
2	Water Supply (DWSD)	0.00
	Sub Total (B)	**24,99,80,000.00**
	Total (A+B)	**51,47,78,335.51**
3	Quality Control Charges (1%)	5147783.36
4	Add Contingencies @ 1.0% up to Rs. 1.0 crore & 0.5% above that	2623891.68
5	Consultancy services	15443350.07
C	**LAND ACQUISITION**	**47,21,14,606.64**
	Grand Total	**101,01,07,967.25**
	Rounded off Rs.	**101,01,00,000.00**

6. **एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ संख्या–1)** तक बननेवाले पथ के अंतर्गत चिन्हित भूमि अधिग्रहण हेतु कुल **47,21,14,607/–** (सैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख चौदह हजार छः सौ सात रूपये) लागत आयेगी।

7. संदर्भित पथ के समग्र विकास हेतु चिन्हित भूमि की प्राप्ति के लिए प्रथमतः विभागीय संकल्प संख्या–3993, दिनांक–22.07.2016 में वर्णित प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए भूमि क्रय किया जाएगा। भू–स्वामी को भूमि क्रय के बदले यथा–निर्धारित राशि के अतिरिक्त ली गई भू–पट्टी पर देय FAR (Floor Area Ratio) को TDR के रूप में अथवा प्रभावित भूखंड के शेष भाग पर FAR (Floor Area Ratio) के रूप में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी।

चिन्हित भूमि क्रय में किसी प्रकार की बाधा या जटिलता उत्पन्न होने की स्थिति में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "झारखण्ड उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्बन्दोबस्ती अधिनियम, 2013" के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

8. **एयर पोर्ट से बिरसा चौक (पथ संख्या–1)** तक निर्माण किये जानेवाले पथ के प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा SOR, 2016 के दर पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

9. संदर्भित योजना का कार्यान्वयन एवं निविदा प्रक्रिया का कार्य जुडको लि०, राँची के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से ससमय सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा जुडको लि०, राँची के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ (Project Management Consultancy Services) प्राप्त किये जाने हेतु विहित प्रक्रिया के तहत् परामर्शी चयन की कार्रवाई की जाएगी।

10. योजना अंतर्गत पथ निर्माण एवं भूमि अधिग्रहण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्य योजना मद अंतर्गत निम्नांकित मदों से वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं उत्तरोत्तर वित्तीय वर्षों में आवंटित राशि से योजना कार्यान्वित की जायेगी :–

क्र०	योजना का कार्य	मुख्य शीर्ष
1	सड़क निर्माण	मांग संख्या–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191 (796/789) के अंतर्गत उपशीर्ष–79–वृहत शहरी परिवहन योजनायें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना निर्माण–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79 सहायता अनुदान के अंतर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP, OSP, SCSP) से की जायेगी।
2	भुमि अधिग्रहण	मांग संख्या–48–मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191 (796/789) के अंतर्गत उपशीर्ष–56–शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिग्रहण के लिए सहाय्य अनुदान –विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79 सहायता अनुदान के अंतर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP, OSP, SCSP) से की जायेगी।

11. इस पथ का निर्माण कार्य 24 महिनों के भीतर सम्पन्न कराया जाएगा।

12. संदर्भित प्रस्ताव पर दिनांक 28.03.2017 को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं॰ 2 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–5/न0वि0/वृ॰श॰परि॰(पथों के समग्र विकास)–38/2016 2195 राँची, दि०– 31/03/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–5/न0वि0/वृ॰श॰परि॰(पथों के समग्र विकास)–38/2016 2195 राँची, दि०– 31/03/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासनिक), जुडको लि॰/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।